संख्या-4382/X-2-2007-12(39)/2006

प्रेषक,

आर0के0 मिश्र

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,

उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2007

विषयः- अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इन्टीग्रेटिड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-नि.300/35-1-बी, दिनांक 22 अगस्त, 2007 तथा भारत सरकार के पत्र सं0-3-8-/2007-FPD, दिनांक 01 अगस्त, 2007 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना तथा अवमुक्त धनराशि के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "इन्टीग्रेटिड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम" के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में केन्द्रांश रू0 1,98,00,000/- तथा रू0 22,00,000/- राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल रू0 2,20,00,000/- (रूपये दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

14. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों/चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम ( बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

15. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

16. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यो तथा मशीनों/कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त कर ही व्यय किया जाय.

17. वचनबद्ध मदों के अतिरिक्त उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व गत वर्ष सम्पादित कार्यो के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा चालू वर्ष का वर्क प्लान प्रस्तुत कर पृथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय. शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव/योजना के सापेक्ष निर्धारित कार्यो पर ही व्यय किया जाय तथा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय.

18. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.

क्रमशः.....2

19. उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त यथा आवश्यकता ही किया जाय.

20. क्षेत्र की योजना के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.

21. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को यथासमय तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

22. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-05- **"इन्टीग्रेटिड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम"** हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार अल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा.

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-215(P)/वि.अनु.-4/2007, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-4382(1)/X-2-2007, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
6. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल (जे).

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव

शासनादेश संख्या-4382/X-2-2007-12(39)/2006 दि0 सितम्बर, 2007 का संलग्नक-

( धनराशि रू0 हजार में )

| योजना का नाम एवं लेखा शीर्षक | मानक मद | मद प्रकार | प्राविधानित धनराशि | वर्तमान स्वीकृति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 05- इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम (90प्रतिशत केन्द्रांश) | 14-मोटर गाड़ी क्रय | कोषागार | 5000 | 0 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि | " | 500 | 0 |
| | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | " | 700 | 0 |
| | 20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता | " | 200 | 0 |
| | 24-बृहद् निर्माण | सारा सीमा | 15400 | 9820 |
| | 26-मशीन सज्जा | " | 4000 | 2340 |
| | 29-अनुरक्षण | " | 8200 | 4490 |
| | 42-अन्य व्यय | " | 7600 | 4250 |
| | 44-प्रशिक्षण | कोषागार | 2000 | 800 |
| | 46-कम्प्यूटर/ सोफ्टवेयर क्रय | " | 1000 | 300 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय | " | 500 | 0 |
| योग | | | 45100 | 22000 |

(वर्तमान स्वीकृति रू0 दो करोड बीस लाख मात्र)

25.09

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव